राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा

क्रमांकः संस्था/कोरोना/2020/2966 दिनांकः 11 /04/2020

—::आदेश::—

कोरोना वायरस (Covid-19) की वैश्विक महामारी के संक्रमण की रोकथाम/बचाव हेतु राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा लॉकडाऊन घोषित किया जा चुका है तथा इस कार्यालय द्वारा सम्पूर्ण जिले में दण्ड संहिता 1973 की धारा—144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा प्रभावी की गई है। अतः लॉकडाऊन एवं धारा—144 के अन्तर्गत जारी निषेधाज्ञा के दौरान निम्न आदेश दिये जाते है:—

1. जिला मुख्यालय पर पदस्थापित समस्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा इस कार्यालय की पुर्वानुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोडा जायेगा।
2. इसी प्रकार समस्त ब्लॉक मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा सम्बंन्धित इंसीडेट कमाण्डर्स (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) की पुर्वानुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोडा जावेगा।
3. सभी जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने विभाग की सम्पूर्ण जिले की संकलित सूचना इस कार्यालय को भिजवाई जावे कि उनके विभाग के कितने अधिकारी/कर्मचारी वर्तमान में कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यो की ड्यूटी हेतु नियोजित है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों से work from home प्रणाली द्वारा कार्य लिया जा रहा है उन सभी के द्वारा अपने पदस्थापन के मुख्यालय पर ही निवास किया जा रहा हो, की पालना भी सुनिश्चित की जावें। उक्त बिन्दु की सूचना संलग्न परिशिष्ठ—अ में इस कार्यालय की ई—मेल आई.डी **establishmentdausa@gmail.com** पर भिजवाई जावें।
4. ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित किया जावे जिनके द्वारा निकटवर्ती जिलों से अपने पदस्थापन कार्यालय के लिए आवागमन (अप—डाउन) किया जा रहा हो तथा कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण से ग्रसित जिलों विशेषकर जयपुर, जोधपुर, झुन्झनु, अजमेर, चुरू व बीकानेर से किसी भी कार्मिक द्वारा आवागमन (अप—डाउन) नहीं किये जाने की पालना सुनिश्चित की जावे।

सभी जिला स्तरीय अधिकारियों एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना की जावे। उक्त निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलक्टर
दौसा

क्रमांकः संस्था/कोरोना/2020/2967—3027 दिनांकः 11 /04/2020

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला पुलिस अधीक्षक जिला दौसा।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा।
3. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी..जिला दौसा।

Scanned by CamScanner

4. प्रभारी अधिकारी समस्त शाखाऐ कलक्ट्रेट दौसा।
5. समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला दौसा।
6. सहायक कलक्टर/फास्ट्रेक समस्त जिला दौसा।
7. तहसीलदार समस्त जिला दौसा।
8. संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, दौसा को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को जिले की वेबसाईट पर अपलोड किया जावे।
9. सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग दौसा को प्रेषित कर लेख है कि प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से व्यापक प्रसार प्रचार करवाया जावें।
10. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर दौसा/निजी सहायक अति0 जिला कलक्टर दौसा।
11. आदेश/गार्ड फाईल/रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
दौसा

परिशिष्ठ–अ

क्र.स	विभाग का नाम	पदनाम	कुल अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या	प्रतिदिन कार्यालय आने वाले कर्मचारियों की संख्या	कोरोना वायरस में नियोजित अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या	वर्क फ्रॉम होम के कर्मचारियों की संख्या	वर्क फ्रॉम होम के कर्मचारियों में से मुख्यालय पर रहने वाले कर्मचारियों की संख्या	वर्क फ्रॉम होम के कर्मचारियों में से मुख्यालय पर नहीं रहने वाले कर्मचारियों की संख्या

Scanned by CamScanner